Unit - III -

(A) भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकार :-

भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मूल अधिकार दिये गये थे। किन्तु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया।

इस प्रकार संविधान में अब 6 मूल अधिकार रह गये है —

(1) समानता का अधिकार (Right to Equality)

(2) स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom)

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation)

(4) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religious)

(5) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (Cultural and Educational Right)

(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

(A) नागरिक के मूल कर्तव्य - :-
(Fundamental Duties of Citizens)

भारतीय संविधान एक ओर जहाँ नागरिकों को मूल अधिकार दिये गये है वही राष्ट्र की उन्नति मे सहायक कुछ मूल कर्तव्यो के निर्वहन की अपेक्षा की गयी है।

→ 1976 मे 42वे संविधान संशोधन मे 51(A) मे 10 मूल कर्तव्यो का समावेश किया गया था।

→ 2001 मे 93वें संविधान संशोधन मे 51(A) मे एक 01 मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया।

वर्तमान मे भारतीय संविधान मे 11 मूल कर्तव्य है। इन कर्तव्यो के अंग बनने पर दण्ड की व्यवस्था नही है।

भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य निम्न है।

(i) भारतीय संविधान का पालन करें और संविधान के आदर्श, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदर्शों का सम्मान करें।

(ii) राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रेरक, आदर्शों को हृदय में संजोये और पालन करें।

(iii) भारत की सम्प्रभुता एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखे।

(iv) देश की रक्षा करे आह्वान किये जाने पर देश राष्ट्र की सेवा करें।

(v) भारत के सभी नागरिकों में समरसता की भावना का निर्माण करें ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।

(vi) अपनी गौरवशाली संस्कृति को समझें परम्परा के महत्व को समझते हुए इसकी रक्षा करें।

(vii) प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी इत्यादि की रक्षा एवं संवर्धन करें।

(viii) वैज्ञानिक एवं मानवतावादी दृष्टिकोण अपना कर सुधार की भावना का विकास करें।

(ix) सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न पहुंचाये एवं हिंसा से दूर रहें।

(x) व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों से सभी क्षेत्रों मे उन्नति करें जिससे राष्ट्र उपलब्धियों की नयी ऊंचाइयों को छू सके।

(xi) माता पिता व अभिभावक के रूप में 6-14 वर्ष के बच्चों व आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।